



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277343
CG-DL-E-22102026-277343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 836]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

सं. 33/2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 907(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 21 अगस्त, 2026, जिसे सा.का.नि. 755(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 2 में, अंक और शब्द "31 अक्टूबर, 2026" के स्थान पर, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 2026" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/105/2026 – टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- अधिसूचना संख्या 30/2026-सीमाशुल्क, दिनांक 21 अगस्त, 2026, को सा.का.नि. 755(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2026, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2026

No. 33/2026-Customs

G.S.R. 907(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2026-Customs, dated the 21st August, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 755(E), dated the 21st August, 2026, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures and words “31st day of October, 2026”, the figures and words “31st day of December, 2026” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/105/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The notification No. 30/2026-Customs, dated the 21st August, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 755(E), dated the 21st August, 2026.